

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... (CSM) मुकाम.....
रा.वा.स. ८४, १८८

..... बनाम.....
रा.वा.स. ८४, १८८

किस्म मुकदमा..... नं. १६७/२०२२ सन २०२२

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.7.2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... रा.वा.स. ८४, १८८</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... ८४, १८८</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ०८.८.२०२२ को पेश हो।</p>	
08/08/2022	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी..... रा.वा.स. ८४, १८८</p> <p>इस वकालतनामा मय इंडवली जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी लाइफ के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1 सांगाराम पुत्र श्री रवेतराम जाति-जाट निवासी-डेरली नाडी पंचायत टल्डा-झिनी 3) लला लखाल-गिडा व स्वयं ववाट PW-2 - श्रीशंकर उमरा पुत्र दुडमाराम जाति जाट निवासी-डीरा श्री ठाणी लखाल-गिडा जिला-बाड़मेर तथा प्रतिवादी लाइफ के रूप में प्रतिवादी स्वयं PW-1-रवेतराम दत्त उमरा श्री पैमाराम जाति-जाट निवासी-डेरली</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु दिलीप-बाड़मेर सांगाराम</p> <p>L.T. 29.8.22</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
दिलीप-बाड़मेर

संख्या
दिनांक
पृष्ठ संख्या

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

नाडी पठान मंडल सीमा का वलय
वहील गिडा जिला बाडमेर का बायत
पत्र पेश विमा गजा जिने का मिल पत्रा-
पली विमा गजा। वारी व प्रतिवादी और
साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्य
वक्त जिने जाडर पत्रावली दिनांक- 21/09/22
को पेश है। पुनः शेष प्रतिवादी गव संख्या
2 से 4 को वारी वहील इला तड विमा
गजा जिनसे कोई विमी प्रकर ही इस्तदुफा
नहीं चाही गई सितः पत्रावली चाहते
बदल निमत दिनांक- 21/09/22 को पेश ही

21/09/2022

वारी वहील उपलमत। प्रतिवादी संख्या
1 एवं में एडवरका ही वारी वहील ही
एडवसिय बडल सुनी गई, पत्रावली व
पत्रावली के संलग्न राजा व रेड्ड का
शवलोकन विमा गजा बाद दिवलोकन
उक्त विवादित भूमि वारी गव ही पेश
साबित होती है लिहाजा वारी गव का
बाद स्वीकार विमा जाडर निवारक मल्ल
से लिखा जाडर शामिल पत्रावली विमा
गजा। डिमी पत्रा जारी हैडर पत्रावली
संलग्न शुमार है, दर्ज नंबर से डम ही,
दाखिल दफतर ही।

सहायक कलेक्टर (S.D.)
बायत
जिला - बाडमेर

सहायक कलेक्टर (SD)
बायत
जिला - बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु
(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 167/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सांगा राम पुत्र खेताराम, 2. बना राम पुत्र खेताराम, 3. विशना राम पुत्र खेताराम, 4. नाबालिग श्रवण कुमार पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली माता सुरतों देवी 5. नाबालिग भीया राम पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली सुरतों देवी 6. नाबालिग जसराज पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली माता सुरतों देवी जाति- जाट, निवासी- केरली नाडी, पूनियों का तला, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		1. खेताराम दत्तक पुत्र पेमाराम, जाति- जाट, निवासी- केरलीनाडी, पूनियों का तला, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

:- निर्णय :-

दिनांक : 21/09/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 635/490 रकबा 8.0046 हैक्टेयर व डुंगराणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 68 रकबा 13.2899 हैक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज पेमाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार

राजस्थान सरकार (R.A.S.)
बायतु
जिला- बाड़मेर

जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं सांगा राम पुत्र खेताराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में अशोक कुमार पुत्र हुकमाराम का शपथ पत्र PW 2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज पेमराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 635/490 रकबा 8.0046 हैक्टेयर व डुंगराणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 68 रकबा 13.2899 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 21/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - वाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सांगा राम पुत्र खेताराम,		1. खेताराम दत्तक पुत्र पेमाराम,
2. बना राम पुत्र खेताराम,		जाति- जाट, निवासी-
3. विशना राम पुत्र खेताराम,		केरलीनाडी, पूनियों का तला,
4. नाबालिग श्रवण कुमार पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली माता सुरतो देवी		तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर
5. नाबालिग भीया राम पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली सुरतो देवी		
6. नाबालिग जसराज पुत्र खेताराम संरक्षक कुदरती वली माता सुरतो देवी		
जाति- जाट, निवासी- केरली नाडी, पूनियों का तला, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 167/2022.


निर्णय दिनांक :- 21/09/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/09/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 635/490 रकबा 8.0046 हैक्टेयर व डुंगराणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 68 रकबा 13.2899 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया) DO
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़